

::आदेश::

उप/सहायक आयुक्त (प्रशा0)/आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय का वर्ष 2022-23 आन्तरिक सम्परीक्षा कार्यक्रम निम्नवत् निर्धारित किया जा रहा है:-

उप/सहायक आयुक्त (प्रशा0)/आहरण वितरण अधिकारी) एवं सम्परीक्षा दल को निर्देश:-

- उप/सहायक आयुक्त (प्रशा0)/आहरण वितरण अधिकारी, सम्प्रेक्षा दल के पहुंचने पर वर्ष 2022-23 से सम्बन्धित अभिलेख यथा 11सी रजिस्टर, वेतन पंजी, कन्टीजेन्सी रजिस्टर व वाउचर, कैशबुक, स्टाक/डेड स्टाक रजिस्टर, वाहन/जनरेटर की लागबुक, जी0पी0एफ0 पासबुक एवं लेजर, सेवा पुस्तिका, जी0पी0एफ0 एडवान्स रजिस्टर, ट्रेजरी बिल रजिस्टर, टिकिट रजिस्टर, नकदीकरण भुगतान पंजिका, ऋण अग्रिम वसूली पंजिका, पेंशन नियंत्रक पंजिका, डीडीओ रिकंसिलाशन स्टेटमेंट, यात्रा भत्ता बिल पंजिका आदि तथा अन्य वांछित संगत अभिलेख उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्परीक्षा दल द्वारा सम्प्रेक्षा में सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए उक्त अभिलेखों की विस्तृत सम्परीक्षा सम्पादित की जाएगी। सम्परीक्षा दल द्वारा सम्परीक्षा के रफनोट्स जारी किये जायेंगे तथा कार्यालय प्रभारी से जारी रफनोट्स पर बिन्दुवार आख्या प्राप्त की जायेगी।
- आगामी दो वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की सेवापुस्तिका तथा चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की जी पी एफ पासबुक (विगत 05 वर्षों के आहरण) की संपरीक्षा प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी
- सम्परीक्षा दल प्रभारी सम्परीक्षा कार्यक्रम के प्रथम दिवस को वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाने पर जोनल अपर आयुक्त से सम्पर्क करेंगे एवं अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर, मुख्यालय को फोन द्वारा सूचित करते हुए लिखित रूप से स्पष्ट आख्या सहित सूचना भेजेंगे।
- सम्परीक्षा दल द्वारा समय से पहुंच कर निर्धारित समय के अन्दर ही समस्त अभिलेखों की सम्परीक्षा पूर्ण करनी है। सम्परीक्षा अवधि बढ़ायी नहीं जायेगी। यदि सम्परीक्षा अवधि में अवकाश पड़ रहा है तो सम्बन्धित कार्मिक उपस्थित रहते हुए सम्परीक्षा दल को अभिलेख उपलब्ध करायेंगे।
- सम्बन्धित लेखा परीक्षक/वरिष्ठ लेखा परीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित कार्यालयों की आन्तरिक सम्परीक्षा मुख्यालय के परिपत्र संख्या-16(4) परिपत्र सामान्य- 2002-03/85 दि0 19.05.2003 में दिये गये निर्देशों के अनुसार सम्पन्न करना सुनिश्चित करें।
- सम्परीक्षा दल के सदस्यों को सम्परीक्षा अवधि में सामान्यतः किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि किसी सदस्य को अवकाश पर जाना पड़े तो वह अपना लिखित प्रार्थनापत्र सम्परीक्षा कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को अवकाश पर जाने के पूर्व उपलब्ध करायेंगे जो प्रार्थना पत्र को अविलम्ब अपर आयुक्त लेखा मुख्यालय को अग्रसारित करेंगे।
- सम्परीक्षा दल के सदस्यों को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि सम्परीक्षा के दौरान जो भी आपत्ति उठाई जाती है उसमें नियमों, शासनादेशों एवं परिपत्रों जिनका उल्लंघन हो रहा है, उल्लेख अवश्य किया जाय।
- सम्परीक्षा दल प्रभारी, सम्प्रेक्षित कार्यालयों के प्रतिवेदन आलेख तैयार कर एक सप्ताह में अनिवार्यतः मुख्यालय उपलब्ध करायेंगे।
- आन्तरिक सम्परीक्षा कार्यक्रम में उल्लिखित स्थानों पर ठहरने के लिए (10 दिनों से अधिक ठहराव हेतु) व्यय किया जाना अपरिहार्य है, अतः वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-3 के नियम 27 डी (2) के परिशिष्ट 10 के क्रमांक 2 के अनुसार 10 दिनों से अधिक का अवस्थान होने पर अवस्थान की सीमा से विमुक्त किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

-:आन्तरिक सम्परीक्षा कार्यक्रम:-

पार्टी सं0	सम्परीक्षा दल के सदस्य	तैनाती कार्यालय	सम्परीक्षा कार्यालय	सम्परीक्षा तिथि
1	श्री सत्येन्द्र उपाध्याय,	वाराणसी	आह0 वि0 अधि0 बस्ती	दि0 28.08.2023 से 30.08.2023 तक

	व०ले०प०(प्रभारी) श्री सन्तोष प्रसाद, व०ले०प०	वाराणसी	आह० वि० अधि० मथुरा	दि० 04.09.2023 से 06.09.2023 तक		
			आह० वि० अधि० आगरा	दि० 11.09.2023 से 16.09.2023 तक		
			आह० वि० अधि० शामली	दि० 18.09.2023 से 20.09.2023 तक		
			आह० वि० अधि० बागपत	दि० 21.09.2023 से 23.09.2023 तक		
			आह० वि० अधि० सहारनपुर	दि० 25.09.2023 से 30.09.2023 तक		
			आह० वि० अधि० बिजनौर	दि० 03.10.2023 से 05.10.2023 तक		
2	श्री अमिताभ सिंह, व०ले०प०(प्रभारी) श्री सावन कुमार गुप्ता, व०ले०प०	मुख्यालय	आह० वि० अधि० गाजियाबाद	दि० 18.09.2023 से 23.09.2023 तक		
		मुख्यालय	आह० वि० अधि० सीतापुर	दि० 25.09.2023 से 27.09.2023 तक		
3	श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, व०ले०प०(प्रभारी) श्री अरुण कुमार, व०ले०प०	आगरा	आह० वि० अधि० हाथरस	दि० 28.08.2023 से 30.08.2023 तक		
			आह० वि० अधि० रामपुर	दि० 04.09.2023 से 06.09.2023 तक		
		मुख्यालय	आह० वि० अधि० लखनऊ	दि० 18.09.2023 से 23.09.2023 तक		
			आह० वि० अधि० मेरठ	दि० 03.10.2023 से 07.10.2023 तक		
4	श्री रज्जन लाल, व०ले०प०(प्रभारी) श्रीमती दीप्ति कश्यप, व०ले०प०	कानपुर नोएडा	आह० वि० अधि० इटावा	दि० 28.08.2023 से 30.08.2023 तक		
			आह० वि० अधि० फतेहगढ़	दि० 04.09.2023 से 06.09.2023 तक		
			आह० वि० अधि० कन्नौज	दि० 11.09.2023 से 13.09.2023 तक		
			आह० वि० अधि० जालौन	दि० 14.09.2023 से 16.09.2023 तक		
			आह० वि० अधि० बांदा	दि० 18.09.2023 से 20.09.2023 तक		
			आह० वि० अधि० सिद्धार्थनगर	दि० 21.09.2023 से 23.09.2023 तक		
			आह० वि० अधि० कुशीनगर	दि० 25.09.2023 से 27.09.2023 तक		
			आह० वि० अधि० महाराजगंज	दि० 28.09.2023 से 30.09.2023 तक		
5.	श्री अब्दुल राशिद व०ले०प०(प्रभारी) श्री विजय शंकर मौर्य व०ले०प० श्री अनूप कुमार द्विवेदी, व०ले०प० श्री सावन कुमार गुप्ता व०ले०प०	गोरखपुर गोरखपुर मुख्यालय मुख्यालय	आह० वि० अधि० मुख्यालय	दि० 25.09.2023 से 29.09.2023 तक		
			आह० वि० अधि० प्रशि० संस्थान	दि० 03.10.2023 से 05.10.2023 तक		
			श्री अब्दुल राशिद व०ले०प०(प्रभारी) श्री विजय शंकर मौर्य व०ले०प०	गोरखपुर गोरखपुर	आह० वि० अधि० मऊ	दि० 28.08.2023 से 30.08.2023 तक
					आह० वि० अधि० बलरामपुर	दि० 04.09.2023 से 06.09.2023 तक
	आह० वि० अधि० बलिया	दि० 11.09.2023 से 13.09.2023 तक				
	आह० वि० अधि० गाजीपुर	दि० 14.09.2023 से 16.09.2023 तक				
	6	श्री विश्व प्रकाश सिंह, व०ले०प०(प्रभारी) श्री राम लाल, व०ले०प०	वाराणसी प्रयागराज	आह० वि० अधि० देवरिवा	दि० 28.08.2023 से 30.08.2023 तक	
				आह० वि० अधि० बदायूं	दि० 04.09.2023 से 06.09.2023 तक	
आह० वि० अधि० मैनपुरी				दि० 11.09.2023 से 13.09.2023 तक		
आह० वि० अधि० औरैया				दि० 14.09.2023 से 16.09.2023 तक		
आह० वि० अधि० शाहजहांपुर				दि० 18.09.2023 से 20.09.2023 तक		
आह० वि० अधि० पीलीभीत				दि० 21.09.2023 से 23.09.2023 तक		
आह० वि० अधि० संतकबीर नगर				दि० 25.09.2023 से 27.09.2023 तक		
आह० वि० अधि० बहराइच				दि० 28.09.2023 से 30.09.2023 तक		
7	श्री अशोक गुप्ता ,	लखनऊ	आह० वि० अधि० ललितपुर	दि० 03.10.2023 से 05.10.2023 तक		
			आह० वि० अधि० अमेठी	दि० 28.08.2023 से 30.08.2023 तक		

K

	व०ले०प०(प्रभारी) श्रीमती मधु वर्मा, व०ले०प०	वाराणसी	आह० वि० अधि० गोंडा	दि० 04.09.2023 से 06.09.2023 तक
			आह० वि० अधि० गोरखपुर	दि० 11.09.2023 से 16.09.2023 तक
			आह० वि० अधि० कानपुर	दि० 18.09.2023 से 23.09.2023 तक
			आह० वि० अधि० अम्बेडकरनगर	दि० 25.09.2023 से 27.09.2023 तक
			आह० वि० अधि० भदोही	दि० 28.09.2023 से 30.09.2023 तक
			आह० वि० अधि० प्रयागराज	दि० 03.10.2023 से 07.10.2023 तक
			आह० वि० अधि० मिर्जापुर	दि० 09.10.2023 से 11.10.2023 तक
8.	श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, व०ले०प०(प्रभारी) श्री अन्नूप कुमार द्विवेदी, व०ले०प०	प्रयागराज मुख्यालय	आह० वि० अधि० अयोध्या आह० वि० अधि० नोएडा	दि० 28.08.2023 से 02.09.2023 तक दि० 18.09.2023 से 23.09.2023 तक
9.	श्री निहाल सिंह, व०ले०प०(प्रभारी) श्री राज कुमार मद्देशिया, व०ले०प०	अयोध्या गोरखपुर	आह० वि० अधि० आजमगढ़ आह० वि० अधि० जौनपुर आह० वि० अधि० मुरादाबाद आह० वि० अधि० महोबा आह० वि० अधि० हमीरपुर आह० वि० अधि० अमरोहा आह० वि० अधि० संभल आह० वि० अधि० चंदौली आह० वि० अधि० कर्वी	दि० 28.08.2023 से 30.08.2023 तक दि० 04.09.2023 से 06.09.2023 तक दि० 11.09.2023 से 16.09.2023 तक दि० 18.09.2023 से 20.09.2023 तक दि० 21.09.2023 से 23.09.2023 तक दि० 25.09.2023 से 27.09.2023 तक दि० 28.09.2023 से 30.09.2023 तक दि० 03.10.2023 से 05.10.2023 तक दि० 09.10.2023 से 11.10.2023 तक
10.	श्री विष्णु शंकर मिश्रा, व०ले०प०(प्रभारी) श्री सौरभ गुप्ता, व०ले०प०	अयोध्या मुरादाबाद	आह० वि० अधि० उन्नाव आह० वि० अधि० बुलंदशहर आह० वि० अधि० झाँसी आह० वि० अधि० बरेली आह० वि० अधि० हापुड़ आह० वि० अधि० मु० नगर आह० वि० अधि० फिरोजाबाद	दि० 28.08.2023 से 30.08.2023 तक दि० 04.09.2023 से 06.09.2023 तक दि० 11.09.2023 से 16.09.2023 तक दि० 18.09.2023 से 23.09.2023 तक दि० 25.09.2023 से 27.09.2023 तक दि० 28.09.2023 से 30.09.2023 तक दि० 03.10.2023 से 05.10.2023 तक
11.	श्रीमती प्रणीता दीक्षित, व०ले०प०(प्रभारी) श्रीमती मनीषा देवी, व०ले०प०	कानपुर वाराणसी	आह० वि० अधि० बाराबंकी आह० वि० अधि० रायबरेली आह० वि० अधि० सुल्तानपुर आह० वि० अधि० प्रतापगढ़ आह० वि० अधि० हरदोई आह० वि० अधि० लखीमपुर आह० वि० अधि० कासगंज आह० वि० अधि० एटा आह० वि० अधि० कानपुर देहात	दि० 28.08.2023 से 30.08.2023 तक दि० 04.09.2023 से 06.09.2023 तक दि० 11.09.2023 से 13.09.2023 तक दि० 14.09.2023 से 16.09.2023 तक दि० 18.09.2023 से 20.09.2023 तक दि० 21.09.2023 से 23.09.2023 तक दि० 25.09.2023 से 27.09.2023 तक दि० 28.09.2023 से 30.09.2023 तक दि० 03.10.2023 से 05.10.2023 तक

(मिनिस्ती एस०)


आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ०प०सं० व दि० उक्त।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

k

1. निदेशक आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, उ0प्र0, 510/217, न्यू हैदराबाद, लखनऊ।
2. अपर आयुक्त (प्रशासन), राज्य कर, उ0प्र0।
3. सम्बंधित जोनल अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, उ0प्र0 को आवश्यक कार्यवाही हेत।
4. संयुक्त आयुक्त,(आई0टी0), राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
5. सम्बंधित संयुक्त आयुक्त,(कार्यपालक), राज्य कर, उ0प्र0।
6. सम्बंधित उप/सहायक आयुक्त (प्रशा0)/आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, उ0प्र0।
7. सम्बंधित वरिष्ठ लेखा परीक्षक राज्य कर, उ0प्र0 को अनुपालनार्थ।


(महा मिलिन्द लाल)
अपर आयुक्त (लेखा), राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।